

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-16/2013-172 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 30-10-2013

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

विषय:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 6608.68 लाख रु० (छियासठ करोड़ आठ लाख अड़सठ हजार रुपये) के विरुद्ध कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 1057.39 लाख रुपये (दस करोड़ संतावन लाख उनचालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹10,57,39,000 (दस करोड़ संतावन लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5076, दिनांक-10.10.2013 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 6608.68 लाख रु० (छियासठ करोड़ आठ लाख अड़सठ हजार रुपये) के विरुद्ध कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 1057.39 लाख रुपये (दस करोड़ संतावन लाख उनचालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹10,57,39,000 (दस करोड़ संतावन लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹10,57,39,000 (दस करोड़ संतावन लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR/5031 विपत्र कोड-P2401007890103, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित 8838.72 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

  
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव  
कृषि विभाग बिहार, पटना।


ज्ञापांक


172 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 30-10-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव  
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक

172 (भावंदन)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-10-2013

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०, सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. : उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सहाय

155/30/11  
सरकार के संयुक्त सचिव  
कृषि विभाग बिहार, पटना।